रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 797] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2017/भाद्र 31, 1939
No. 797] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2017/BHADRA 31, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1188(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2017 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा। जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है:

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और लोक संघ सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	05* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक में स्तर 10 (रुपये 56,100-1,77,500)	चयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पावधि संविदा भी शामिल है) द्वारा; चालिस प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पावधि संविदा भी शामिल है)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- ऐसा ज्येष्ठ अनुवादक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (रुपये 44900-142,400) में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और सरकार के अंतर्गत किसी संस्था से प्रासंगिक क्षेत्र में 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। **टिप्पण:** जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठों की पदोन्नति पर विचार किया जा रहा है वहां उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि उनकी अपेक्षित अर्हत या पात्रता सेवा ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठों, जिन्होंने ऐसी	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:- (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष; (2) अपर सचिव, राजस्व विभाग- सदस्य; (3) प्रवर्तन निदेशक -	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, के साथ अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।	सदस्य;	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है): केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा अर्ध-सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्ता प्राप्त संगठनों के अधिकारी:—	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल होंगे:-	
(क) (i) अपने मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करना; अथवा	(1) प्रवर्तन निदेशक - अध्यक्ष;	
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900 रु.- 1,42,400) में वहां नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त वहां तीन वर्ष सेवा का अनुभव; और	(2) प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक - सदस्य;	
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव होना चाहिए:- **(I) आवश्यक:**	(3) प्रवर्तन निदेशालय (मुख्यालय) के अतिरिक्त निदेशक – सदस्य	
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी रही हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्मम के रूप में हिन्दी रही हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी अथवा डिग्री स्तर पर परीक्षा का माध्यम हिन्दी हो; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी विषय में मास्टर डिग्री तथा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी या इनमें से कोई विषय परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा विषय डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हो; या		
(ii) केंद्रीय सरकारों या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्व विद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत हिंदी मं शब्दावली (पारिभाषिक कार्य) प्रयोग या उपयोग का और अंग्रजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव जिसमें विपर्ययेन तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी; या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थाओं के अन्तर्गत हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान का तीन वर्ष का अनुभव।		
वांछनीय: मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा में संविधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित हिंदी से भिन्न भाषाओं में किसी भाषा का अध्ययन किया हो।		

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए. 12018/1/2013-प्रशा. ई.डी.]

संतोष कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2017

G.S.R. 1188(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language) in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant Director (Official Language), Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** — The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person.—

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Assistant Director (Official Language).	5* (2017) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service. Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
Sixty percent by promotion failing which by deputation (including short-term contract); forty percent by deputation (including short-term contract).	**Promotion:** Senior Translator, in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix with three years regular service in the grade and have successfully completed mandatory training of 2-4 weeks in the relevant area from an institute under the Government. **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations.—	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; (2) Additional Secretary, Department of Revenue – Member; (3) Director of Enforcement – Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Director of Enforcement – Chairman; (2) Special Director of Enforcement Directorate – Member;	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: — **Essential:** (i) Master's degree from a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of the examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a elective or compulsory subject or as the medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level; or Master's degree from a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as a compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and other as a compulsory or elective subject at the degree level; (ii) Three years' experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State Governments or Autonomous Bodies or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institutions; or Three years' experience of teaching in Hindi and English or Research in Hindi or English under Central Government or State Governments or	(3) Additional Director of Enforcement Directorate (Headquarters) – Member.	

	Autonomous Bodies or Statutory Organisations or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research or Educational Institutions. Desirable: Studied one of the languages other than Hindi included in the eighth Schedule of the Constitution at 10th standard from a recognised Board. **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The Maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/1/2013-Ad.ED

SANTOSH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.23 15:36:26 +05'30'